न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – चंचल वर्मा आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>प्रकरण संख्या– 16/2021</u>

1. सीताराम पुत्र स्व. ठाकरराम जाति कन्दोई साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

–अपीलान्ट

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा

– असल रेस्पोडेन्टस

2. हरिराम पुत्र प्रयागचन्द जाति कन्दोई साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

<u>निर्णय</u> दिनांकः–04.10.2023

अपीलांट सीताराम पुत्र स्व. ठाकरराम जाति कन्दोई साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा नामान्तरण संख्या 663 दिनांक 15.10.2014 को अपास्त करवानें बाबत अपील प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के साबिका ख.न. 34 मीन की 9 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता व तरतीबी रेस्पोडेन्टस सं 2 के पिता स्व. प्रयागचन्द पुत्र कुन्दनमल के कब्जा काश्त की थी जो निरन्तर उनके कब्जा काश्त में रही। बन्दोबस्त होने पर उक्त भूमि नये खसरा नम्बर 62 में 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 63 में 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि कुल 9 बीघा भूमि में पैमुद हुई तथा वादग्रस्त भूमि में माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 29.05.2014 को वादी के पिता एवं तरतीबी रेस्पो, सं. 2 को ब.हि.ब. का खातेदार घोषित करवा लिया गया। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 29.05.2014 माननीय राजस्व अपील अधिकारी संलग्न अपील है।
2. रेस्पो. सं. 1 द्वारा नामान्तरण सं. 663 दिनांक 15.10.2014 माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2014 के तहत ख.न. 62 की 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि एवं खसरा नम्बर 63 की 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि में अपीलान्ट

04/10/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के पिता एवं रेस्पो. सं. 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया परन्तु नामान्तरण संख्या 663 दिनांक 15.10.2014 माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ की अनुपालना में ख.न. 63 की 1.568 हैक्टर भूमि का नामान्तरण सही दर्ज कर दिया गया एवं ख.न. 62 की 0.708 हैक्टर भूमि खातेदारी होनी चाहिए थी परन्तु खातेदार दर्ज करके तीर का चिन्ह बनाकर गैरखातेदार दज कर दिया गया जो कि निर्णय की अक्षरशः पालना नही की गई है। यह कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में वादग्रस्त भूमि स्व. प्रयागचन्द की आवंटित होने के सम्बध में जमाबन्दी सम्बत 2013–2016 प्रस्तुत की है राजस्थान भू– राजस्व कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत भी भूमि का आवंटन प्रारम्भिक रूप से अस्थाई काश्त के रूप में होता है तथा उक्त नियम 1957 के अनुसार 14 वर्ष तक आवंटी के कब्जे में निरन्तर रहने पर यह भूमि स्वतः खातेदारी होती है। माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। परन्तु रेस्पो. स. 1 द्वारा ख.न. 62 की 0.708 हैक्टर भूमि को खातेदारी दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु माननीय तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई।

3. वर्तमान नामान्तरण सं. 663 दिनांक 15.10.2014 का मूल आधार माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2014 है एवं उपरोक्त नामान्तरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2014 की अक्षरशः पालना की जानी चाहिए थी परन्तु नामान्तरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा जान बूझकर खातेदार के आगे गैरखातेदारी दर्ज किया जो कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। इसलिए नामान्तरण सं. 663 दिनांक 15.10.2014 के अनुसार दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये जावे।

4. अपीलान्ट को नामान्तरण सं. 663 दिनांक 15.10.2014 का पूर्व में ज्ञान नही था क्योंकि अपीलान्ट ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय एवं पर्चा डिक्री की प्रति पटवारी हल्का चक सरदारपुरा को दे दी थी परन्तु पटवारी हल्का से पूछा गया तो उन्होने कहा कि नामान्तरण राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के अनुसार पालना में दर्ज कर दिया। अपीलान्ट नेपाल में रहता है तथा वर्तमान में पटवारी हल्का से मिला तो पता चला कि ख.न. 62 की 0. 708 की पालना माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के अनुसार पालना नही की। तब पटवारी हल्का चक सरदारपुरा से नामान्तरण की नकल प्राप्त की तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सद्भाविक देरी मानते हुए क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र संलग्न अपील मिमो प्रस्तुत किया जा रहा।

04/10/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाते हुऐ विद्वान तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा तस्दीक नामान्तरण सं. 663 में ख.नं. 62 की 0.708 हैक्टर भूमि निरस्त फरमावे हुए माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ निर्णय के अनुसार अमल दरामद करने के आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–02 फौत हो चुके है, उनके कोई वारिसान नहीं है। तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–02 की सम्पति की वसीयत अपीलांट के पक्ष निष्पादित होना बताया गया एंव इस हेतू अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरण 663 दिनांक 15.10.2014 के विरूद्ध अपील पेश की है। रोही मौजा ढाणी चारणान के खसरा नं0 34 की 9 बीघा, जो अब खसरा नं0 62 की 02 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नं0 63 की 6 बीघा 4 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में प्रयागचन्द के नाम दर्ज थी, जो अलॉटशुदा थी। हमनें बाद में खातेदारी हेतू दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में की गई। जिसका निर्णय दिनांक 29.05.2014 को हुआ एंव अपील स्वीकार की गई एंव डिक्री जारी की गई। मुताबिक डिक्री इजराय पेश की गई। इजराय की पालना में नामान्तरण संख्या 663 दिनांक 15.10.2014 जो कि खसरा नं0 63 का सही एंव खसरा नं0 62 का 0.708है0 का नामान्तरण मुताबिक डिक्री नहीं किया गया। खातेदारी अंकित कर गैर खातेदार लिख दिया गया। किसी डिक्री की पालना अक्षरशः होती है। पर्चा डिक्री के अनुसार ही अमल दरामद होना था। यह नामान्तरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की अवहेलना कर तस्दीक किया गया है। अतः नामान्तरण संख्या 663 दिनांक 15.10.2023 को निरस्त किया जावें एंव नामान्तरण मुताबिक डिक्री किये जानें आदेश फरमावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय का भी अवलोकन किया गया। इस निर्णय में स्पष्ट रूप से अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। ऐसे में नामान्तरण भरते समय अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश की अक्षरशः पालना करनी चाहिए थी। जिसका कि उनके नामान्तरण में अभाव है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

04/10/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 16/2021 अनवान सीताराम बनाम सरकार व अन्य

नामान्तरण खारिज किया जाता है एंव पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रेषित की जाती है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय की अक्षरशः पालना की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 04.10.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

04/10/23

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

नोहर (हनुमानगढ़)